विष्णु बनाम प्रभारी / चिकित्सा अधिकारी

अपील संख्या : 2022/135

13.06.2022	पत्रावली पेश हुई । उक्त अपील विद्वान् अभिभाषक श्री बृजनारायण शर्मा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बून्दी के निर्णय दिनांक 17.05.2017 के विरूद्ध पेश की है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर सुना गया । अपीलान्ट के द्वारा उक्त अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश की है । राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः 1(17)राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 से सम्बन्धित समस्त अपीलों का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी से संभागीय आयुक्त को स्थानान्तरित किया गया है । उक्त अपील को सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है । अतः मूल ही अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाई जाती है । अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो । (मनोज कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा